



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासिन कॉम्प्लेक्स, सेक्टर - 29, फरीदाबाद - 121008
National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACIN Complex, Sector - 29, Faridabad - 121008
फोन/Telephone: 0129-2504652-54
फैक्स/Fax: 0129-2504632

(By E-mail)

F. No. NACIN/ TRNG/796/2022-I-S-TRNG

Dated: 16.11.2022

Madam/Sir,

Subject: Online training on "Anti-Profiteering as Consumer Rights Protection Measure" for Group 'A' officers of CBIC on 23.12.2022- reg.

National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics (NACIN), Faridabad is organizing an online training for Group 'A' officers of CBIC on "Anti-Profiteering as Consumer Rights Protection Measure" on 23rd December, 2022.

2. You may nominate Group 'A' officers of CBIC for the said training. The details of participants may please be sent in the following table in EXCEL format only.

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (In capital letters)
--------	---------------------	-------------	-------------	------------------	------	------------	-------------------------------

3. Details of the nominated officers may please be sent by 21st December, 2022 before 05:00 PM to this office by email only at Email ID: istnacin-faridabad@gov.in. Details of the web-platform, web-link and appropriate instructions for participation in the online training will be sent directly to the participants by e-mail/ mobile and they can participate in the online training by simply clicking on the link at the designated time.

4. In case of any query/difficulty, Smt. Vikrant Rathi, Addl. Assistant Director (Mob: 9999011815) and Smt. Monika Gosain, Inspector (Mob: 8851299277) may please be contacted.

5. This issues after approval of competent Authority.

Yours faithfully,


(Anur Sharma)
Assistant Director

To

1. The Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of Customs (All)
2. The Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of CGST & Central Excise (All)
3. The Pr. Director General / Director General (All Directorates General under CBIC)
4. The Chief Departmental Representative, CESTAT, New Delhi
5. The Pr. Commissioners/ Commissioners of Customs (All)
6. The Pr. Commissioners / Commissioners of CGST & Central Excise (All)
7. The Pr. Commissioners/ Commissioners of Audit Commissionerate (All)
8. CBIC & NACIN Website



(ई-मेल के माध्यम से)

फा. सं. NACIN/ TRNG/796/2022-I-S-TRNG

दिनांक: 16.11.2022

महोदया/महोदय,

विषय:- नासिन, फरीदाबाद द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए "मुनाफाखोरी विरोधी कानून: उपभोक्ता अधिकार संरक्षण उपाय के रूप में" विषय पर दिनांक 23.12.2022 को ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 23.12.2022 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए "मुनाफाखोरी विरोधी कानून: उपभोक्ता अधिकार संरक्षण उपाय के रूप में" विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

2. उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के ग्रुप 'ए' के अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। नामांकन केवल अधोलिखित EXCEL प्रोफॉर्म में ही भेजे जायें।

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (In capital letters)
--------	---------------------	-------------	-------------	------------------	------	------------	-------------------------------

3. नामांकन दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 साँय 5 बजे तक केवल ई-मेल के माध्यम से, ई-मेल आईडी- istnacin-faridabad@gov.in पर भेजे जा सकते हैं। वेब- प्लेटफॉर्म, वेब- लिंक एवं ऑनलाइन सत्र में भाग लेने से संबंधित अन्य निर्देश, नामांकित अधिकारियों की ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर भेज दिये जाएंगे। अधिकारी साझा किए गए लिंक पर क्लिक कर के प्रशिक्षण सत्र में भाग ले पाएंगे।

4. उपर्युक्त प्रशिक्षण सत्र से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु श्रीमती विक्रान्त राठी, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9999011815) एवं श्रीमती मोनिका गोसाई, निरीक्षक (Mob. 8851299277) से संपर्क किया जा सकता है।

5. नामांकन पत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय,


अनुराग शर्मा
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषण:

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
3. प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआईसी के तहत सभी निदेशालय)
4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
7. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय
8. सीबीआईसी एवं नासिन वेबसाइट